

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक: एफ 5(2) आ.प्र. एवं स.आ./पशु शिविर/2015/५।८०-२६३ जयपुर, दिनांक ०६/०४/१५
जिला कलेक्टर,(सहायता),
बाड़मेर, जैसलमेर, अजमेर, बांसवाड़ा,
बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, झूंगारपुर, श्रीगंगानगर,
हनुमानगढ़, जालौर, जोधपुर एवं प्रतापगढ़।

विषय:- अभाव संवत् २०७१ में खरीफ फसल खराबा रिपोर्ट के आधार अभावग्रस्त जिलों के अभावग्रस्त क्षेत्रों में ९० दिवस से अधिक अवधि हेतु पशु शिविर संचालन के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ १(३) आ.प्र.सआ/ सामान्य /2014/ 10908-44 दिनांक 19.10.2014 एंवं क्रमांक एफ १(४) आ.प्र.सआ/ सामान्य /2014/ 12413-32 दिनांक 12.12.2014 से आपके जिले को अभावग्रस्त घोषित किया गया था। यह अवधि 31.07.2015 तक प्रभावी रहेगी। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि अभाव संवत् २०७१ में अभावग्रस्त क्षेत्रों में स्वीकृत पशु शिविर, जिनकी अवधि राज्य आपदा मोचन निधि में अनुमत ९० दिवस पूर्ण कर ली गई है उन पशु शिविरों के पशुओं हेतु ९० दिवस से अधिक अवधि के लिए अनुदान स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव संचालित संस्था द्वारा निर्धारित शर्तों की पालना सुनिचित शपथ पत्र आदेश पत्र के साथ प्राप्त करने के पश्चात प्रेषित करें। आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा पशु शिविर संचालन की स्वीकृती दिये जाने के उपरान्त ही जिला कलेक्टर द्वारा पशु शिविर संचालित किये जायें।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन आफ प्रोसिडिंग्स) एकट, 1952 के अन्तर्गत अभावग्रस्त गांवों में चारे की कमी हो जाने के फलस्वरूप असहाय/ आवारा पशुओं के संरक्षण हेतु पशु शिविर संचालन करने हेतु जिलों को निम्न प्रावधानों के अन्तर्गत अधिकृत किया जाता है :-

१. अभावग्रस्त क्षेत्रों में पशु शिविरों का संचालन भारत सरकार के पत्रांक ३२-३/२०१३-NDM-I दिनांक 28.11.2013 के द्वारा जारी संशोधित SDRF/NDRF मानदण्डों के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा। पशु शिविर का संचालन राजकीय संस्था, पंचायतीराज संस्था या स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से करवाया जावे एवं साथ ही ऐसे शिविरों में बेसहारा तथा लावारिस पशुओं को संधारित किया जावे।
२. गत वर्षों में राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि पशु पालकों के दुधारू पशुओं को भी पशु शिविर में दाखिल कर लिया जाता है तथा पशुपालक दिन में पशुओं को चराई की सुविधा हेतु शिविरों में छोड़ देते हैं एवं सुबह -शाम पशुओं को लेकर जाते हैं। अतः इस सन्दर्भ में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैं:-
 - (i) किसी भी शिविर में दुधारू पशु को नहीं रखा जाए।
 - (ii) पशु शिविर उन्हीं संस्थाओं को स्वीकृत किये जाए जिनके पास पशुओं को रखे जाने की समुचित व्यवस्था यथा बाड़ा, छाया, पानी, इत्यादि की समुचित व्यवस्था हो।
 - (iii) यदि पशुपालकों द्वारा अपने पशुओं को शिविरों में दाखिल किया जाता है तो पशु पालक को पशु का मालिकाना हक छोड़ना होगा।

- (iv) पशु शिविरों में रखे जाने वाले बड़े पशु को 50/- रुपये प्रति बड़े पशु प्रतिदिन तथा 25/- रुपये प्रति छोटे पशु प्रतिदिन की दर से चारा/पशु आहार देने हेतु अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
- (v) पशु शिविरों में संधारित किये जा रहे पशुओं को पशु शिविर संचालित करने वाली संस्था को 1 किलो पशु आहार बड़े पशु को तथा 1/2 किलो पशु—आहार छोटे पशु को प्रति पशु प्रतिदिन की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। यदि निर्धारित मात्रा में पशुओं को पशु आहार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में 11/- रुपये बड़े पशु तथा 5.50/- रु. प्रति छोटे पशु प्रतिदिन की दर से अनुदान राशि में से काटी जाकर शेष अनुदान राशि का भुगतान संस्था को किया जाए।
- (vi) पशु आहार राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन/राजफैड द्वारा निर्मित आहार उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में ही अनुदान राशि देय होगी। अन्य किसी संस्था द्वारा निर्मित पशु आहार उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में पशु आहार राशि की कटौति सुनिश्चित की जाए।
- (vii) पशु शिविरों के माध्यम से संधारित किये जा रहे पशुओं का शिविर स्थल पर जाकर, तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी द्वारा समय—समय पर निरीक्षण किया जाए तथा निरीक्षण के दौरान पायी गई कमियों का उल्लेख शिविर संचालक द्वारा शिविर स्थल पर रखे जा रहे रजिस्टरों में आवश्यक इन्द्राज सुनिश्चित किया जाकर हस्ताक्षर किये जाए।
- (viii) पशु शिविरों में रखे जाने वाले पशुओं के प्रमाणीकरण के संदर्भ में स्थानीय रूप से पटवारी/ग्राम सेवक/नजदीकी स्कूल के अध्यापक को शामिल करते हुए एक कमेटी का गठन कर कमेटी की अनुशंसा के आधार पर ही पशु शिविरों में पशुओं को रखा जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि एक पशु शिविर में अधिकतम पशु सीमा 200 से अधिक न हो तथा 15 दिवस की अवधि में कम से कम 100 पशु होने की स्थिति में ही शिविर संचालक को अनुदान राशि का भुगतान किया जाए।
3. ऐसे पशु शिविरों के बारे में जिला कलेक्टर के स्तर पर एक रजिस्टर संधारित किया जाए, जिसमें निम्न सूचना अंकित की जाएः—
- (i) पशु शिविर चलाने वाली संस्था का नाम
 - (ii) पशु शिविर चलाने हेतु आवेदन पत्र का दिनांक
 - (iii) संस्थान का नाम जहाँ शिविर चलाया जाएगा।
 - (iv) पशुओं की संख्या जो शिविर में रखने हेतु प्रस्तावित हो
 - (v) शिविर के लिए पशु शाला हेतु उपलब्ध स्थान
 - (vi) शिविर पर पशुओं के लिए उपलब्ध सुविधायें
 - (vii) चारा कितनी मात्रा में प्रति पशु प्रति दिन दिया जाएगा तथा अन्य सुविधायें क्या दी जाएगी।
 - (viii) जिला कलेक्टर द्वारा आवेदन पत्र स्वीकृत करने का दिनांक
 - (ix) दिनांक जिससे पशु शिविर चालू किया गया
 - (x) संस्था की स्थायी संचालन समिति के सदस्यों के नाम
 - (xi) बैंक जिसमें संस्था अपना खाता रखती हो
 - (xii) संस्था के प्रबन्धक/अध्यक्ष एवं सचिव का नाम
 - (xiii) संस्था पंजीकृत है अथवा नहीं
 - (xiv) संस्था की सामान्य वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी
5. पशु शिविर अनुदान, शिविर खोलने के दिनांक से अथवा जिला कलेक्टर द्वारा शिविर खोलने की अनुमति देने के दिनांक से, जो भी बाद में हो, दिया जाए।

6. पशु शिविर चलाने वाले स्वयं सेवी संस्था की स्थानीय संचालक समिति में जिला कलेक्टर द्वारा एक प्रतिनिधि मनोनीत किया जावे एवं यह निर्देशित किया जाए कि स्थानीय संचालन समिति की प्रत्येक बैठक की दिनांक की सूचना उस प्रतिनिधि को प्रदान की जावे ताकि बैठक में जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि उपस्थित हो सके।
7. ऐसे समस्त शिविरों का लेखा जोखा सही एवं भली प्रकार से संधारित कराया जाए, जिसमें निम्न रजिस्टरों का संधारण कराया जाएः—
 - क. पशु चारा/पशु आहार खरीद एवं स्टाक रजिस्टर
 - ख. पशुओं के पंजीकरण का रजिस्टर
 - ग. चारा तथा पशु आहार दैनिक वितरण रजिस्टर
 - घ. दैनिक आमद व खर्च का रोकड़ बही
8. ऐसे शिविरों का तथा उनके लेखों का सहायता विभाग से अधिकृत किसी अधिकारी एवं जिला कलेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधि या मनोनीत अधिकारी द्वारा किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकेगा।
9. जिला कलेक्टर अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा समय-समय पर प्रत्येक पशु शिविर का निरीक्षण किया जाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि इन शिविरों में निर्धारित मापदण्ड से पशुओं का पोषण किया जा रहा है तथा संस्था द्वारा संधारित अभिलेखों में अंकित संख्या के अनुसार पशु, वास्तव में शिविर में रखे गये हैं। इस प्रकार किये गये निरीक्षण की एक प्रति निरीक्षण दिनांक से एक सप्ताह के भीतर सहायता विभाग एवं सम्बन्धित स्वयं सेवी संस्था को भेज दी जाए।
10. यदि किसी संस्था द्वारा संचालित शिविर की व्यवस्था, जिला कलेक्टर द्वारा संतोषजनक नहीं पाई जाए तो ऐसे शिविर की व्यवस्था जिला कलेक्टर द्वारा अपने स्तर पर व्यवस्थित करने के लिए कार्यवाही की जाए।
11. पशु शिविर चलाने वाली संस्था द्वारा जिला कलेक्टर को प्रत्येक चरण का हिसाब प्रस्तुत किया जाये। जिला कलेक्टर की स्वयं की स्वीकृति के उपरान्त देय अनुदान राशि का भुगतान बिल प्राप्त के 7 दिन में किया जाये। इस प्रकार किये गये भुगतान में राशि कम या अधिक पाई जाने पर उसका समायोजन अगले पखवाड़े के हिसाब में किया जाये। यदि हिसाब चरण के पश्चात किया जावे तो संस्था को देरी के कारण लिखित में अंकित करने होंगे।
12. यदि पशु शिविर के खिलाफ कोई जांच विचाराधीन है तो उन संस्थाओं की जांच के निस्तारण उपरान्त ही प्रस्ताव अभाव अवधि में प्रेषित करें।
13. यह भी सुनिश्चित करें कि स्वीकृत पशु शिविरों में पशु वृद्धि के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर के स्तर के अधिकारी द्वारा निरीक्षण कराया जाये एवं निरीक्षण के दौरान पशुओं की संख्या, पानी की व्यवस्था, चारा खिलाने की व्यवस्था, संधारित रजिस्टरों व अन्य सुविधाएँ जो विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार सही पाये जाने के उपरांत पशु बढ़ोत्तरी के प्रस्तावों की अनुशंसा जिला कलेक्टरों को करें तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अनुशंसा से स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित करें।
14. जिला कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित पशु शिविर के लिए स्वीकृति जारी करते समय सम्बन्धित संचालक संस्था से एक शपथ-पत्र लिया जायें।(संलग्न शपथ-पत्र का प्रारूप 10 रूपये नोन जूडिशियल स्टाम पेपर पर)
15. स्वीकृत पशु शिविरों का मुख्यालय/जिला कलेक्टर द्वारा आकस्मिक निरक्षण/ विडियो ग्राफी की जा सकेगी। आकस्मिक निरीक्षण में अनियमितता पायी जायेगी तो सम्बन्धित संस्था/संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कानूनी/विभागीय कार्यवाही की जा सकेगी।
16. 90 दिवस से अधिक अवधि के लिए संचालित की जाने वाले पशु शिविरों हेतु प्रत्येक कार्यालय में पृथक-पृथक पत्रावलीया खोली जाएंगी। एवं इस से सम्बन्धित अन्य रिकार्ड पृथक से संधारित करते

हुए पृथक रजिस्टर खोले जाएंगे। संचालक संस्था के स्तर पर भी पृथक रिकार्ड व रजिस्टर भी खोले जायेंगे।

17. 90 दिवस से अधिक अवधि हेतु संचालित होने वाले पशु शिविरों पर होने वाला व्यय एसडीआरएफ नोर्म्स के अन्तर्गत उसी सम्बन्धित बजट मद पर प्रभार्य किया जायेगा, जिस मद पर पूर्व में अभाव सम्बत् 2071 में खरीफ फसल खराबों के समय किया गया है। परन्तु उससे सम्बन्धित लेखा संधारण पृथक से किया जायेगा एवं ऑनलाइन बजट मांग करते समय भी 90 दिवस से अधिक अवधि हेतु मांग होने का उल्लेख किया जाये।


उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त विस्तृत निर्देश आपदा प्रबन्धन एवं सहायता निर्देशिका के अनुच्छेद 7 में व सूखा प्रबन्धन संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार पशु शिविरों का संचालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,


शासन सचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0., जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0., जयपुर।
4. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव पशुपालन एवं प्रबन्ध निदेशक, आरसीडीएफ, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
7. निजी सचिव, समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
8. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
9. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
10. प्रोग्रामर, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
11. गार्ड फाईल।


शासन संयुक्त सचिव

शपथ पत्र/बन्ध पत्र का (Affidavit/Bond) प्रारूप

- मैं..... पुत्र/पुत्री/..... उम्र
- निवासी..... तहसील जिला का निवासी हूँ। मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ की
1. मेरी संस्था का नाम एवं संस्था का पंजीयन संख्या
..... यह है।
 2. मेरी मेरी गौशाला/पशुशिविर के संचालन का स्थान..... तहसील का नाम.....
....., जिले का नाम..... यह है।
 3. मैं इस गौशाला/पशुशिविर का पिछले वर्षों से संचालित कर रहा हूँ मेरी गौशाला/पशुशिविरे
में वर्तमान में बड़े छोटे कुल..... पशु संधारित है।
 4. मुझे ज्ञात है कि जिला कलेक्टर/राज्य स्तर से पशु शिविर का अकस्मिक निरीक्षण/विडियो ग्राफी
करवाई जा सकेगी।
 5. मैं भलीभांति परिचित हूँ कि आकस्मिक निरीक्षण/विडियो ग्राफी के दौरान बताई गई पशु संख्या में
यदि कमी /अनियमितता पाये जाती है तो मेरे व मेरी संस्था के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही
की जा सकेगी।
 6. मैं पशु शिविर/गौशाला की स्वीकृति में उल्लेखित सभी शर्तों की पूर्णतः पालना करूँगा।
 7. जिले द्वारा समय—समय पर दी गई सभी शर्तों का मैं पूर्वतः पालन करूँगा।

शपथग्रहिता

मैं..... पुत्र/पुत्री/..... उम्र

निवासी..... शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि उपर्युक्त संख्या 1 से 6 तक दिया गया विवरण सत्य
है।

शपथग्रहिता